# अध्याय 12

# सतत विकास और जलवायु परितर्वन

*मानवी कार्यों से प्रेरित ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जनों में बढ़ोत्तरी हो रही है और यह जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक है। वैश्विक जनकल्याण होने के नाते तापमान में हो रही वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ऊपर $2^0$ सें. तक सीमित रखने की सामूहिक कार्रवाई के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत हो रही है। दक्षिण एशिया और अफ्रीका में उभरते और विकासशील देशों पर, जहां विशेषकर आजीविका के स्वरूप को देखते हुए अनुकूलन की कहीं अधिक बड़ी जरूरतें हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का ज्यादा असर हो सकता है। सतत विकास के मार्ग के आर्थिक निहितार्थ होते हैं। सरकारों पर जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से संबंधित दो ऐसे नए करारों के जरिए कार्य करने के लिए जर्बदस्त दबाव है, जो अगले वर्ष तय की जाने वाली कार्रवाई की नई वैश्विक संरचना होंगे। भारत ने अपने विकास के पथ में सम्पोषणीयता संबंधी सरोकारों से तालमेल बिठाया है, लेकिन फिर भी अपनी कोशिशों में यह मजबूर पड़ जाता है क्योंकि जरूरतें ज्यादा हैं और संसाधन कम। वैश्विक जनकल्याण के लिए यूएनएफसीसीसी की प्रक्रिया को गति देनी होगी।*

## परिचय

12.2 सतत विकास अंतर-पीढ़ी संबंधी समानता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है और लोगों की भलाई के लिए इसका व्यापक वैश्विक आयाम है। इस दिशा विकास के मोर्चे में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है क्योंकि अभी तक 116 देश पेयजल के लिए सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) तथा 77 देश सफाई का लक्ष्य (प्रोगेस आन सेनीटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर-2014 अपडेट, डब्ल्यूएचओ तथा यूनिसेफ 2014) प्राप्त कर रहे हैं। तकनीकी परिवर्तनों तथा दक्षता में सुधारों के कारण बहुत से विकासशील देशों सहित पूरे विश्व में ऊर्जा की तीव्रता घटी है। 1990 की तुलना में 2010 में लगभग 700 मिलियन उपेक्षित लोग अत्यधिक दरिद्र अवस्था में रह रहे हैं। गरीबी को आधा करने का वैश्विक लक्ष्य 2010 में प्राप्त किया गया था। जल के उन्नत स्रोतों तक पहुंच, मलेरिया और क्षय रोग के खिलाफ लड़ाई, शहरों में गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए सुधरी हुई हालत, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन तथा महिलाओं की प्रगति से असाधारण लाभ प्राप्त हुए हैं। भारत ने भी महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल की है जिसका ब्यौरा अध्याय 13 में दिया गया है।

12.3 तथापि, प्रगति असमान, अपर्याप्त है और इसे संभावित भावी नुकसानों से खतरा है। मौसम संबंधी इतिहास यह दर्शाता है कि प्रत्येक वित्त वर्ष में कुछ विपत्तियां अथवा प्रकोप की घटनाएं हो रही हैं और मौसम की परिवर्तनशीलता बढ़ रही है। एक उष्ण जलवायु प्रणाली से अपेक्षा है कि वह ताजा पानी, भोजन और ऊर्जा जैसे मूलभूत आवश्यक चीजों की उपलब्धता पर प्रभाव डालेगी। इस वर्ष, विभिन्न पूर्वानुमानों के

अनुसार, अल नीनो से होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा है। आमतौर पर आने वाला अल नीनो विश्व के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे को तेज कर सकता है, खाद्य आपूर्ति को खतरा पैदा कर सकता है और मूल्य अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसकी विशाल जनसंख्या, विस्तृत तटरेखा तथा कृषि पर जीविका की निर्भरता के संदर्भ में अधिक अनुकूल आवश्यकताओं वाले दक्षिण एशियाई देशों में विशेष रूप से संभावना है।

12.4 उत्सर्जन बढ़ रहा है और वह मौजूदा ऐतिहासिक सीमाओं को पार कर रहा है। जीएचजी उत्सर्जन 1970 और 2000 के बीच 1.3 प्रतिशत प्रति वर्ष की तुलना में 2000 और 2010 के बीच औसतन 2.2 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच बढ़ा है (आईपीसीसी डब्ल्यू जी III 2014)। स्पष्टतया विश्व वैश्विक औसत तापक्रम को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ऊपर 2° सेंटीग्रेड नीचे सीमित करने की दिशा में नहीं हैं। वास्तव में विज्ञान बार-बार चेतावनी दे रहा है कि विश्व 4-6° सेंटीग्रेड उष्ण मार्ग पर है। वैश्विक प्रयासों में न्यूनीकरण पर उचित ध्यान दिया जा रहा है परन्तु गरीब और कमजोर देशों के लिए अनुकूलन के मुद्दे जिनका समाधान हो, नगण्य बने हुए हैं क्योंकि वे ही उकरने सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। विश्व वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि का 2.2 से नीचे सीमित करने की दिशा में नहीं है। सीएचजी उत्सर्जन 1970 और 2000 के बीच 1.3 प्रतिशत की तुलना में 2000 और 2010 के बीच प्रति वर्ष औसतन 2.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

विश्व वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2° सेंटीग्रेड से नीचे सीमित करने की दिशा में नहीं है। जीएचजी उत्सर्जन 1970 और 2000 के बीच 1.3 प्रतिशत की तुलना में 2000 और 2010 के बीच प्रति वर्ष औसतन 2.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।

12.5 एमडीजी-7 की प्राप्ति न होने की पृष्ठभूमि में (पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करने के लिए) और बढ़ते हुए उत्सर्जन का वैश्विक सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के एजेंडा तेजी से फैल रहा है, आशा है कि 2015 में इन करारों में चरमोत्कर्ष होगा। रियो +20 के अधिदेश के बाद, वैश्विक समुदाय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का एक सैट विकसित करने का कार्य कर रहा है और संभावना है कि 2015 में जब वे समाप्त हो जाएंगे तो उन्हें समाप्त न हुए एमडीजी में शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही वैश्विक जलवायु समुदाय के सामने 2015 में करार करने की अंतिम सीमा आ रही है, जिसके कारण 190 से ज्यादा देश यह शपथ ले सकेंगे कि 2020 के बाद की अवधि में उत्सर्जन में कटौती की जाए। यह अपनी तरह का पहला वैश्विक समझौता होगा। सतत विकास और जलवायु परिवर्तन नीति के लिए 2015 एक ऐतिहासिक वर्ष होगा, जबकि 2014 का वर्ष सभी हितधारकों के लिए इस आशय का अंतिम मौका है कि 2015 के बाद वे जिस प्रकार का विश्व चाहते हैं, उसको बुद्धिमत्तापूर्वक चुनने हेतु सक्षम बनने के लिए अपना आत्मविश्लेषण करें।

जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर दो नए वैश्विक समझौतों को 2015 में अंतिम रूप देने पर बातचीत चल रही है।

12.6 जबकि बहस जारी है, भारत ने कई अन्य विकासशील देशों की तरह भूमि के कार्बन क्षेत्र का अपना उचित हिस्सा भी प्रयोग नहीं किया है, न ही इसने अपनी समूची आबादी के लिए बुनियादी न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त किए हैं। विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग विकसित देशों में औसत ऊर्जा के उपयोग का केवल लगभग 25 प्रतिशत है (आईपीसीसीडब्ल्यूजी III 2014) इसके अतिरिक्त, ग्रामीण जनसंख्या के काफी बड़े अनुपात के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच एक मुद्दा रहा है। लगभग 400 मिलियन भारतीयों के पास अपने घरों में अभी भी बिजली नहीं है और लगभग 800 मिलियन भारतीय खाना पकाने के लिए अपने प्राथमिक अथवा एकमात्र ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव पदार्थ के किसी रूप का प्रयोग करते हैं (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय [एमओएसपीआई], ऊर्जा सांख्यिकी 2013 और विश्व बैंक), जो चिंताजनक है।

12.7 सतत विकास का सारांश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ीयों की योग्यता को जोखिम डाले बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करना है। आर्थिक और सामाजिक विकास का लक्ष्य सभी देशों में सततता के संदर्भ में परिभाषित किया जाना

चाहिए तथा राष्ट्रों के भीतर वर्तमान तथा भावी खपत संतुलन खपत के ऐतिहासिक पैटर्नों के संबंध में देखा जाना चाहिए। अत: प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या भारत जैसे देश गरीबों की न्यूनतम आवश्यक जरूरतों सहित मूल विकास के अपने घरेलू दायित्वों को ध्यान में रखते हुए अधिक वैश्विक लक्ष्यों को समायोजित करने के लिए तैयार हैं। विश्व का सुविधाविहीन आधा हिस्सा अपना कार्य कर सकता है परंतु यह आशा नहीं की जा सकती कि विश्व के विकास, सततता और जलवायु संकट का ज्यादा भार उन पर डाल दिया जाए। अत: यह अनुदेशात्मक होगा कि ऐतिहासिक, स्थानीय और अन्य आयामों के संदर्भ में सतत विकास पर ध्यान दिया जाए।

## सतत विकास

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूरे देश में स्वास्थ्य अवशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू करने की घोषणा की।

12.8 पर्यावरण संबंधी मुद्दे लम्बे समय से भारतीय चिंतन और सामाजिक प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग रहे हैं। भारत, जो बड़ा और विविधता वाला देश है, में विश्व के भू-क्षेत्र का केवल 2.4 प्रतिशत हिस्सा है और इसमें विश्व की 7-8 प्रतिशत अभिलिखित पादप और जंतु प्रजातियां हैं। यह अनुमान है कि भारत विश्व की समूची पादप प्रजातियों के लगभग 1/6 हिस्से का घर है तथा विश्व के 12 जैव विविधता वाले लोकप्रिय स्थलों में से दो भारत में स्थित हैं (भारत में पर्यावरण संबंधी सांख्यिकी का सार-संग्रह, सीएसओ 2013)। 2009 की तुलना में, भारत के वनस्पति क्षेत्र में 23.34 वर्ग किमी॰ की निवल वृद्धि हुई है (गतिविधियों और उपलब्धियों के संबंध में सार विवरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय [एमओईएफ, 2013]। देश ने वनों तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण आदि के संबंध में बहुत से कानून बनाए हैं। हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ने सततता की आवश्यकता पर जोर दिया है और पूरे देश में स्वास्थ्य, अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए ''स्वच्छ भारत मिशन'' शुरू करने की घोषणा किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर बल दिया है कि सरकार का दृढ़ विश्वास है कि पर्यावरणीय संरक्षण विकास के साथ-साथ चल सकता है और यह आश्वासन दिया है कि देश को उच्च विकास के पथ पर रखते समय सरकार सततता को भारत की योजना प्रक्रिया के केन्द्र में रखेगी। आम राष्ट्रीय नीतियों के साथ बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का उद्देश्य बहुत सी ऐसी अपेक्षाओं को संबोधित करता है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं पर सरकारी (केन्द्र और राज्य) व्यय 2005-06 में 5.49 प्रतिशत से बढ़ कर 2012-13 में 7.09 प्रतिशत हो गया है। (बजट अनुमान) (सार्क विकास लक्ष्य : भारत देश रिपोर्ट 2013)। जबकि देश में सरकार द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी भारत सतत विकास के लिए समावेशी रोडमैप तैयार करने में वैश्विक समुदाय के साथ समान रूप से कार्य रहा है।

## एसडीजी के लिए विषय क्षेत्र

12.9 उपांतिम वर्ष, 2014 में एमडीजी के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने में भारत द्वारा की गई प्रगति बॉक्स 12.1 में आंकी गई है (अध्याय 13 में मुख्य व्यष्टि संकेतकों का ब्यौरा समाहित है)। 2015 के अंत में देय एमडीजी के साथ, 2015 के बाद की विकास रूपरेखा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श प्रारंभ हो गया है। इसकी भी जल्दी है कि सतत विकास के विजन को लक्ष्यों के सैट में परिवर्तित किया जाए और समाप्त न हुई एमडीजी को 2015 के बाद के विकास एजेंडा में शामिल किया जाए। एसडीजी के निरूपण के साथ, फिलहाल जिसकी प्रक्रिया चल रही है, एमडीजी के लिए बहुत से विषय केन्द्रित क्षेत्र खुला कार्य समूह (ओडब्ल्यूजी) द्वारा पता लगाए गए हैं जो उत्सस्कों का समूह है। और जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के विचारार्थ एमजीडी पर एक प्रभाव तैयार कर रहा है। अभी तक पता लगाए गए क्षेत्र मुख्य हैं: गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और पोषण, स्वास्थ्य और जनसंख्या गतिकी, शिक्षा,

## बॉक्स 12.1 : एमडीजी और लक्ष्य ख़ भारत द्वारा प्राप्त की गई प्रगति का सारांश

| संकेतक | | एमडीजी लक्ष्य 2015 | संभावित उपलब्धि 2015 |
|---|---|---|---|
| **एमडीजी 1: अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन** | | | |
| लक्ष्य 1: वर्ष 1990 और 2015 के बीच उन लोगों का अनुपात आधा करना जिनकी आय एक डॉलर प्रतिदिन से कम है। | | | |
| गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात (प्रतिशत) | | 23.9 | 20.74 |
| **एमडीजी 2: सार्वभौम शिक्षा की प्राप्ति** | | | |
| लक्ष्य 3: यह सुनिश्चित करना कि 2015 तक प्रत्येक जगह बच्चे, लड़के व लड़कियां समान रूप से प्राथमिक विद्यालय का संपूर्ण पाठ्याक्रम पूरा करने में सक्षम होंगे। | | | |
| प्राथमिक श्रेणी में निवल नामांकन अनुपात (प्रतिशत) | | 100 | 100 |
| साक्षरता दर (15-24 वर्ष) | | 100 | 100 |
| **एमडीजी 3: महिला पुरूष समानता का उन्नयन करना और महिलाओं का सशद्रिकरण** | | | |
| लक्ष्य 4: वरीय रूप से 2005 तक और शिक्षा के सभी स्तरों में 2015 तक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर समाप्त करना | | | |
| लड़के लड़की समानता सूचकांक (शिक्षा में लड़कों व लड़कियों का अनुपात) | | 1 | 1 |
| कृषि भिन्न क्षेत्रा में सवेतन रोजगार में महिलाओं का हिस्सा (प्रतिशत) | | 50 | 23.1 |
| **एमडीजी 4: बच्चों की मृत्यु दर कम करना** | | | |
| लक्ष्य 5: वर्ष 1990 और 2015 के बीच पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर दो तिहाई घटाना | | | |
| पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (1000 जीवित बच्चे) | | 42 | 50 |
| शिशु मृत्यु दर (1000 जीवित बच्चे) | | 27 | 41 |
| **एमडीजी 5: मातृ स्वास्थ्य में सुधार** | | | |
| लक्ष्य 6: वर्ष 1990 और 2015 के बीच मातृ मृत्यु दर अनुपात तीन चौथाई घटाना | | | |
| मातृ मृत्यु दर अनुपात (100,000 जीवित बच्चे) | | 109 | 139 |
| कुशल कालमकों की देखरेख में हुए बच्चों के जन्म का अनुपात (प्रतिशत) | | 100 | 62 |
| **एमडीजी 7: पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना** | | | |
| लक्ष्य 10: वर्ष 2015 तक उन लोगों का अनुपात आधा करना जिनकी स्वच्छ पेयजल और बुनियादी स्वच्छता तक सतत पहुंच नहीं है। | | | |
| उन्नत जल स्रोत तक सतत पहुंच वाले परिवार (प्रतिशत) | शहरी | 93.56 | 97.5 |
| | ग्रामीण | 79.47 | 96.3 |
| स्वच्छता तक पहुंच के बगैर परिवार (प्रतिशत) | शहरी | 15.84 | 12.14 |
| | ग्रामीण | 46.64 | 61.11 |

**स्रोत:** सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, भारत देशज रिपोर्ट 2014, एमओएसपीआई

**टिप्पणी:** इस विश्लेषण के लिए कुछ ही मुख्य संकेतक शामिल किए गए हैं जिनके आंकड़े आधार वर्ष 1990 के लक्ष्यों के अंतर्गत उपलब्ध थे।

एमडीजी के संबंध में भारत की उपलब्धि मिलीजुली है। कुछ संकेतकों में, भारत निर्धारित सीमा से पहले ही अपने लक्ष्य प्राप्त कर चुका है अथवा उसने लक्ष्यों से बेहतर परिणाम दिए हैं, उदाहरण के तौर पर गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत आधा हो गया है जो 23.9 प्रतिशत के एमडीजी लक्ष्य से काफी ज्यादा है और संभावना है कि लक्ष्य 10 के अर्थों में 2015 में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का 20.74 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा अर्थात शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत जल स्रोत तक सतत पहुंच वाले लोगों का अनुपात आधा हो जाएगा और हमने 2012 में क्रमश: 93.56 प्रतिशत और 79.47 प्रतिशत के लक्ष्य क्षेत्रों को पहले ही पार कर लिया है। वैश्विक प्राथमिक शिक्षा का एमडीएच 2, सही दिशा में है। कुछ लक्ष्यों के संबंध में स्त्री-पुरूष समानता सूचकांक और 5 वर्ष से नीचे मृत्यु दर के लक्ष्य 2015 तक हासिल किए जाएंगे। भारत के लिए 2015 तक 100,000 जन्मों पर 109 मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य असंभव है। गैर कृषि क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार में महिलाओं के हिस्से से संबंधित अन्य क्षेत्रों कुशल कामकों की देखरेख में जन्मे बच्चों का अनुपात और उन्नत स्वच्छता की पहुंच वाली जनसंख्या के अनुपात में भारत बहुत पीछे है।

स्त्री-पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण; जल और स्वच्छता, ऊर्जा, रोजगार, संपोषणीय शहर और मानव पुनर्स्थापना; सतत उत्पादन और खपत; तथा कार्यान्वयन के उपाय।

## सतत विकास का वित्तपोषण

12.10 सतत विकास थोड़े समय में कम से कम परिणाम अथवा उत्पाद की प्रति यूनिट उच्च निवेश लागत को इंगित करता है (व्यवसाय एवं सामान्य मार्ग की तुलना में)। आगामी दशकों में सतत विकास के लिए विकासशील देशों की अतिरिक्त निवेश संबंधी जरूरतें प्रतिवर्ष लगभग 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर की हैं (विश्व आर्थिक तथा सामाजिक समीक्षा, संयुक्त राष्ट्र 2012)। सतत विकास के वृद्धि पथ के अनुगमन के लिए इन व्यापक संसाधनों को जुटाने की जरूरत को मान्यता देते हुए, रियो +20 में सदस्य देशों ने प्रभावी सतत विकास वित्तपोषण कार्यनीति के लिए वित्तपोषण संबंधी जरूरतों के आकलन और अतिरिक्त पहलों के मूल्यांकन के लिए सतत विकास वित्तपोषण के संबंध में 30 विशेषज्ञों की एक अंतर सरकारी समिति गठित की है।

सीबीडीआर और इक्विटी वर्तमान और भावी सतत विकास वित्तपोषण का आधार बने रहने चाहिए।

12.11 भारत सहित विकासशील देश इस बात पर बल देते रहे हैं कि सामान्य किंतु भिन्न दायित्व (सीबीडीआर) तथा इक्विटी, निरंतर रूप से चल रहे और भावी सतत विकास वित्तपोषण का आधार बने रहने चाहिए। तत्पश्चात् सतत विकास पथ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कार्यनीतिबद्ध किए गए वित्तीय प्रवाह और कार्यान्वयन के साधन अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करें कि नए तथा अतिरिक्त संसाधनों के बारे में प्रावधान पर्याप्त तथा आशानुरूप दोनों हैं। व्यापक रूप से विचार-विमर्शित कुछ आर्थिक साधन/स्रोत भारत के विकास पथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और निम्नलिखित अनुच्छेदों में उन पर चर्चा की गई है।

12.12 **सरकारी विकास सहायता (ओडीए):** ओडीए ने वर्षों से अस्थिर वृद्धि दर्शायी है और इसने दाता देशों के आर्थिक विकास के साथ गति नहीं बनाए रखी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), विकास सहायता समिति (डीसीए) के दाता देशों की ओडीए वर्ष 2012 में उनकी सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) का 0.29 प्रतिशत था जो संयुक्त राष्ट्र के 0.7 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत कम है। एक अनुमान के अनुसार, पिछले तीस वर्षों में कमी 2005 की कीमतों के अनुसार कुल मिलाकर 3.1 ट्रिलियन अमरीकी डालर रही (आज का अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग, उदीयमान रूझान और विवाद, 2008)। यह स्पष्ट है कि पिछले दशक में ओडीए की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में आयी कमी ने उन संसाधनों और अवसरों को गंवाया है जो विकास कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे।

12.13 **गैर-ओडीए स्रोत:** यह व्यापक रूप से स्वीकार्य है कि अपेक्षित संसाधनों की अधिकता होने पर, सतत विकास की वित्तपोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल स्रोत पर्याप्त नहीं होगा। अत:, ओडीए के अलावा, विभिन्न अन्य स्रोतों को सतत विकास में योगदान देने के लिए उनकी क्षमता हेतु आंका जा रहा है। इस संदर्भ में बहुत से स्रोतों पर दबाव डाला जा रहा है जैसे घरेलू संसाधन संग्रहण (डीआरएम), वित्तपोषण के नवीन अंतर्राष्ट्रीय स्रोत, दक्षिण-दक्षिण स्रोत तथा निजी वित्त। आंतरिक रूप से संसाधन जुटाने के लिए देशों पर बहुत अधिक दबाव है तथापि, डीआरएम बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जैसे देश का राजकोषीय प्रदर्शन, नैसर्गिक संसाधन आधार, और कर आधार का आकार। जबकि विकासशील देशों में कम खपत और ज्यादा बचत की संस्कृति के फलस्वरूप घरेलू संसाधनों का संग्रहण बढ़ा है, परंतु मूलभूत विकास के लिए जरूरतें उपलब्ध घरेलू पूंजी, क्षमता, सामर्थ्य और प्रौद्योगिकी से अधिक हैं। नवीन वित्तपोषण संसाधन के संदर्भ में, सतर्कता यह है कि नवीन तथा नए स्रोतों का पता लगाने में यह

सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राजस्व जुटाने का कोई नया उपाय विकासशील देशों पर कोई प्रभाव न डालें। बहुत से ऐसे नवीन स्रोत तकनीकी और राजनैतिक रूप से जटिल हैं और उन पर और अधिक विचार करने के लिए समन्वित प्रक्रिया की जरूरत है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग-समान देशों के लिए भागीदारी तथा दक्षिण के देशों के बीच एक प्रयास है जिससे वे स्वेच्छा से अपनी सामान्य समस्याओं को सुलझा सकें और यह प्राय: उल्लिखित समाधान के रूप में भी उभरा है तथापि, दक्षिण-दक्षिण सहयोग लाभ न मिलने वाले उत्तर-दक्षिण प्रवाहों को लाभ दे सकता है। दक्षिण के लिए अधिक कार्य करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह उन्हीं के स्थान के अंतर्गत होना चाहिए। निजी क्षेत्र भी केवल पूरक भूमिका ही निभा सकता है। निजी क्षेत्र का वित्तपोषण अपने निवेशों के लिए सुपरिभाषित जोखिम/प्रतिलाभ विवरण की मांग करेगा। जिस सीमा तक निजी पूंजी जुटाई जा सकती है, वह निजी पूंजी को आकर्षित करने तथा इस्तेमाल में लाने में अपेक्षित उत्प्रेरक भूमिका निभाने के लिए उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों की राशि पर निर्भर करेगी।

12.14 जिन विकल्पों पर बहस की जा रही है, वे काफी लागत वाले हैं और उन्हें विकास का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए तथा इसी समय सतत विकास करने के लिए जरूरत की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के आकार के संदर्भ में देखना होगा। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय संघटन को सुधारना जो डिजाइन के मानदंड और सिद्धांतों जैसे जवाबदेही, पारदर्शिता, देश का स्वामित्व, प्रभावी हितधारियों की काम में संलग्नता, आरोह्यता तथा नम्यता को शामिल करेगा, जो वैश्विक सतत विकास एजेंडा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। विस्तृत वैश्विक संस्थागत संघटन को विकासशील देशों के ज्यादा अधिकार एवं भागीदारी के संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता में तत्काल सुधार की जरूरत है। एक बार विश्व यह मान्यता दे कि सतत विकास सामान्य है किन्तु दायित्व भिन्न-भिन्न हैं और वह यह दायित्व सतत विकास के कई पहलुओं के साथ स्थानांतरित करता है, तो एक अधिक समान संतुलित संघटन, जहां प्रत्येक प्रभावित पक्ष समान हितधारक है, प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और वांछित पथ के साथ प्रगति को मानीटर करने और सही दिशा में रखने के लिए उदीयमान हो सकता है।

अपेक्षित संसाधनों की अधिकता को देखते हुए सतत विकास की वैश्विक वित्तपोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई एकल स्रोत पर्याप्त नहीं होगा। सभी चर्चित विकल्प काफी लागत वाले है और इन्हें विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर इनके प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।

## जलवायु परिवर्तन

### वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन

12.15 बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ-साथ उत्सर्जन कम करने की राष्ट्रीय नीतियां लागू करने के व्यापक प्रयासों के बावजूद उत्सर्जन बढ़ा है। ऊर्जा का प्रयोग कुल मिलाकर उत्सर्जन का सबसे बड़ा संचालक है। उच्च मध्यम आय वाले देशों में ऊर्जा व उद्योग क्षेत्र में 2000 और 2010 के बीच वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है (आईपीसीसी डब्ल्यूजी III, 2014)। इन क्षेत्रों के अलावा, इन देशों ने भी उत्सर्जनों में विभेदक अंशदान किए है। विकासशील देशों ने विशेषता इस समस्या में न्यूनतम अंशदान किया है परन्तु प्रभाव इन पर ही ज्यादा हुआ है। यद्यपि 1990 से 2010 तक भारत का प्रति व्यक्ति का सीओ$_2$ 0.8 से बढ़कर 1.7 मेट्रिक टन हो गया है, यह विश्व की मुख्य अर्थव्यवस्थाओं जैसे यूएसए (17.6), कनाडा (14.7), चीन (6.2) और ब्राजील (2.2) से काफी कम है और 2010 में (विश्व बैंक डाटा बेस) 4.9 की औसत से भी काफी हद तक कम है।

भारत का प्रति व्यक्ति सीओ2 उत्सर्जन 1990 और 2010 के बीच 0.8 मी॰ टन से बढ़कर 1.7 मी॰ टन हो गया है, फिर भी यह 2010 में विश्व की 4.9 मी॰ टन की औसत से नीचे है।

12.16 उत्सर्जन के एतिहासिक स्टॉक में वास्तविक अंशदान के सन्दर्भ में अनुबंध वाले देशों (औद्योगिक देश और परिवर्तन वाली अर्थव्यवस्थाएं) में गैर-अनुबंध (मुख्यत: आम तौर पर कम आय वाले और विकासशील देश) से काफी अधिक है। भारत का 1850 से 2010 तक वैश्विक उत्सर्जन में योगदान केवल 2.7 प्रतिशत था जबकि यूएस का 27 प्रतिशत था। सामुहिक वैश्विक उत्सर्जन में अनुबंध-I वाले देशों का हिस्सा

लगभग 70 प्रतिशत और गैर-अनुबंध-I वाले देशों का लगभग 28.5 प्रतिशत (समावेशी विकास हेतु निम्न कार्बन कार्यनीतियों संबंधी विशेषज्ञ समूह की अंतिम रिपोर्ट, योजना आयोग, 2014)। वर्तमान स्टॉक की वृद्धि के संदर्भ में एक बार फिर अनुबंध-I देश अपने जनसंख्या आधार पर उचित हिस्से से अधिक उत्सर्जन करते हैं। अनुबंध-I देश सामूहिक रूप से विश्व जनसंख्या का लगभग 19 प्रतिशत है, 2011 में (सीआ2 इमिशन्स फ्राम फ्यूल कंबशन, हाडलाइट्स, 2013) 43 प्रतिशत रहा। यद्यपि यदि उत्सर्जन की हाल की वृद्धि को देखा जाए तो, विशेषकर 1990 के बाद गैर-अनुबंध-I वाले देशों का तीव्र है अनुबंध-I देशों के कम और घटती वृद्धि के विपरीत है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, वास्तविक अर्थ में अधिक है, अनुबंध-I वाले देशों में स्थित और धीरे-धीरे घट रहा है और इसके उप समूह जैसे ओईसीडी और परिवर्तन वाली अर्थव्यवस्थाओं जबकि आय में वृद्धि और जनसंख्या के कारण विशेषकर एशिया और कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं में यह गैर-अनुबंध-I देशी में मजबूती से बढ़ रहा है, इसलिए हुआ क्योंकि अमीर देश जीवन के उच्च स्तर तक पहुंच के लिए विकासशील चरण पहले ही पुरा कर चुके हैं, पर्यावरणविद संबंधी कुजनेट्स कुवे द्वारा सुझाया गया है के परामर्शनुसार गरीब देशों में तकनीकी विकल्प की अनुपस्थिति में, प्रयोग संसाधन, विकास के पूर्व चरण में वृद्धि करती है। फिर भी प्रत्यालेख अनुसार अब से अब से दो दशकों तक भारत का प्रति व्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन पिछले 25 वर्षों के वैश्विक औसत से काफी कम रहेगा। 2020 में भारत का प्रतिव्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन सीओ$_2$ ईक्यू का 2.1 टन और 2008 में सीओ$_2$ ईक्यू का 3.5 टन का होने का अनुमान है। ये आंकड़े 2005 के वैश्विक प्रतिव्यक्ति एचजी उत्सर्जन 4.22 टन सीओ$_2$ ईक्यू का औसत की तुलना में अच्छे हैं। (भारती जीएचजी उत्सर्जन निवल, एमओईएफ 2009) वास्तव में भारत अपने प्रति व्यक्ति उत्सर्जन क किसी भी परिस्थति विकसित देशों से अधिक न होने देने के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध है।

भारत का प्रति व्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन 2030 में सीओ2 समकक्ष का 3.5 टन होना अनुमानित है जो 2005 में सीओ2 समकक्ष के 4.22 टन के प्रति व्यक्ति वैश्विक औसत की तुलना में अनुकूल है।

भारत ने पहले ही वचनबद्धता की है कि इसके प्रति व्यक्ति उत्सर्जन किसी भी हालत में विकसित देशों से ज्यादा नहीं होगा।

## घरेलू योजनाओं विश्लेषण और जलवायु परिवर्तन

12.17 जिम्मेवार देश होने के कारण भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी क्षमता से अधिक कई उपाय किए हैं। 1990 और 2011 के बीच भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की दक्षता में नियमित सुधार किया है और जीडीपी की प्रति इकाई 20 प्रतिशत सीओ$_2$ उत्सर्जन कम किया है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगातार मजबूत ही रही है, जनवरी, 2012 में 23 जी डब्ल्यू पहुंच गई, जो कुल विद्युत क्षमता (ईंधन तपन, हार्डलाइट्स, आईईए 2013 से सीओ$_2$ उत्सर्जन) का लगभग 12 प्रतिशत है। जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए भारत की मुख्य योजनाएं निम्नलिखित खंडों में रेखांकित की गई हैं।

भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय योजनाएं क्रियान्वित करने में प्रगति कर रहा है। इसने 1990 और 2011 के बीच अपना सीओ$_2$ उत्सर्जन सघउ के प्रति यूनिट 20 प्रतिशत कम किया है।

*जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की स्थिति/विकास*

12.18 मौसम परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना (एनएपीसीसी) के राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत पिछली आर्थिक समीक्षाओं में चर्चा की जा चुकी है। यह समीक्षा अपील अभी तक की गई संसाधित लागत अनुमानों, कार्यान्वयन की स्थिति और प्रगति आदि पर ध्यान देती है।

12.19 **राष्ट्रीय सौर मिशन:** बारहवीं योजना अवधि में आवंटित वित्तीय खर्च रुपये 8795 करोड़ है।

12.20 **वर्धित ऊर्जा दक्षता संबंधी राष्ट्रीय मिशन:** बारहवीं योजना अवधि के लिए मिशन हेतु आंकी गई कुल निधि आवश्यकता 190/- करोड़ रु॰ है। हासिल की गई असाधारण प्रगति सम्मिलित हैं:-

- पीएटी की पहली वचनबद्धता अवधि की शुरूआत (निष्पादन उपलब्धि और व्यापार)

सारणी 12.1 : राष्ट्रीय सौर मिशन

| मिशन द्वारा किए जाने वाले कार्य | वर्ष 2013-17 हेतु लक्ष्य | वर्ष 2013-14 हेतु लक्ष्य | वर्ष 2013-14 में उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| ग्रिड से जुड़ी सौर विद्युत परियोजनाएं | 9000 मेगावाट (3000 मेगावाट केन्द्रीय सहायता से और 6000 मेगावाट राज्यों के कार्यक्रम के अन्तर्गत) | 1100 मेगावाट | 522 मेगावाट |
| ग्रिड से अलग सौर विद्युत परियोजनाएं | 800 मेगावाट | 40 मेगावाट | 22.7 मेगावाट |
| सौर तापन - संग्राहक क्षेत्र का 70 लाख वर्गमीटर | 70 | 5 | 5 |

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से ऊर्जा क्षमता वित्तपोषण मंच का विस्तार।
- कोम्पेक्ट फ्लोरेसन्ट लैम्प प्रोग्राम का कार्यान्वयन।
- आंशिक जोखिम गारंटी निधि/ऊर्जा क्षमता के लिए उपक्रम पूंजी निधि का संचालन।

12.21 **दीर्घकालीक पर्यावरण के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएच):** बारहवीं योजना अवधि के लिए मिशन की गतिविधियों के लिए कुल रु॰ 950/- करोड़ की आवश्यकता निर्धारित की गई है, जो जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के वर्तमान बजट से पुरी की जाएगी। मिशन के अधीन असाधारण प्रगति हासिल की गई हैं।

- एनएमएसएच स्तर 6 उप-क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया अर्थात (क) ठोस अवशेष का प्रबंधन, (ख) जल व स्वच्छता, (ग) झझावत जल निकास, (घ) शहरी योजना, (ड) ऊर्जा क्षमता, और राज्य में विकासात्मक गतिविधियों में एकीकरण के लिए शहरी यातायात।
- ऊर्जा संरक्षण निर्माण क्षेत्र 2007 सभी नए और पुराने भवनों के लिए अनिवार्य किया गया है और 2013 में विद्युत संपर्क के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) सामान्य विशेषताएं के साथ निगमित किया गया।
- 2009 से सीपीडब्ल्यूडी के लिए हरित निर्माण मानक अनिवार्य किए गए और सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली से निगमित किए गए।

12.22 **राष्ट्रीय जल मिशन :** बारहवीं योजना अवधि के लिए मिशन के लिए कुल 89,101/- करोड़ रु॰ की निधि निर्धारित की गई है। केवल 196/- करोड़ रु॰ के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए है। अब तक कार्यान्वयन की स्थिति निम्न प्रकार से है:

- मौसम परिवर्तन पर राज्य विशेष कार्रवाई योजना की तैयारी के लिए कार्रवाई की गई।
- दो बैसिन जैसे गोदावरी और बाहमणी-बैतरणी का बेसिनवार जल का एक प्रायोगिक अध्ययन किया गया। अध्ययनों का विस्तार सभी बेसिन के लिए किया गया।
- एक समझौता ज्ञापन पर जल संसाधन मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक के बीच एकीकृत बाढ़ शमन और बाढ़ क्षेत्र प्रबंधन रणनीति की पहचान व प्रयोग के लिए संबंधित अनुसंधान करने के उद्देश्य से तकनीकी सहायता के लिए, हस्ताक्षर किए गए।

12.23 **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन:** कुल 1500/- करोड़ रु॰ बारहवीं योजना अवधि के लिए निधि की जरूरत का आकलन निर्धारित किया गया। 500/- करोड़ रु॰ का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। बारहवीं योजना के महत्वपूर्ण कार्य और लक्ष्य सारणी 12.2 में दिए गए हैं।

सारणी 12.2 : हिमालयी परिस्थितिकी की सततता हेतु राष्ट्रीय मिशन

| मिशन द्वारा किए जाने वाले कार्य (संख्या) | वर्ष 2013-17 हेतु लक्ष्य | वर्ष 2013-14 हेतु लक्ष्य | वर्ष 2013-14 की उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| नेटवर्किंग और ज्ञान संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण | 12 | 4 | 4 |
| हिमालयी राज्यों में विद्यमान संस्थाओं में | 10 | 3 | 4 |
| जलवायु परिवर्तन संबंधी नए केंद्र शुरू करना हिमालयी परिस्थितिकी के स्वास्थ्य की | 1 | 1 | 1 |
| मानीटरी हेतु पर्यवेक्षण संजाल का विकास ग्लासियोलाजी में पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग | सभी पड़ोसी | 1 | 1 |

12.24 **हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन:** बारहवीं योजना अवधि के लिए मिशन का कुल 45,800/-करोड़ रुपये की निधि की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। मिशन के अधीन गतिविधियों की कार्यान्वयन के लिए 13000/- करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई। लागत की लगभग 0.85 लाख हेक्टेयर कार्यक्षेत्र पर 33 भूदृश्य निर्माण की भावी योजना लगभग दस राज्यों ने पहले ही प्रस्तुत कर दी है।

12.25 **धारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन:** बारहवीं योजना अवधि के लिए मिशन के लिए कुल 1,08,000 करोड़ रुपये की कुल निधि की आवश्यकता का आकलन किया गया और 13,034 रुपये करोड़ का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। निधि की उपलब्धता के अनुसार 15 कार्य कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित किए गए है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य और लक्ष्य सारणी 12.3 में दिए गए हैं।

सारणी 12.3 : धारणीय कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन : वे कार्यकलाप जिनमें अधिक प्रगति की गई है

| मिशन द्वारा किए जाने वाले कार्य | मिशन के कार्यकलाप | वर्ष 2013-17 | वर्ष 2013-14 | वर्ष 2013-14 में उपलब्धि | उपलब्धि प्रतिशत 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| बागवानी | बागवानी क्षेत्र का विस्तार (लाख हेक्टयर) | 11 | 1.2 | 1.04 | 86 |
| बीज | बीज प्रसंस्करण (लाख क्विंटल) | 10 | 2 | 3.64 | 182 |
| कृषि आपूर्ति चेन प्रबंधन | कृषि बाजार-भंडारण का सृजन (लाख मिट्रिक टन) | 230 | 45 | 42.93 | 95 |
| पशुधन और मत्स्य पालन | मछली के उत्पादन में वृद्धि (फिंगरलिंग उत्पादन) मिट्रिक टन | 220350 | 37818 | 37132 | 99 |

12.26 **जलवायु परिवर्तन हेतु सामरिक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन:** बारहवीं योजना अवधि हेतु इस मिशन के लिए मूल्यांकित कुल निधि की जरूरत 2500 करोड़ रुपए है। तथापि, इन कार्यकलापों को करने का व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विद्यमान स्कीमों के बजट आवंटन में से पूरा किया जाएगा। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए किए जा सकने वाले कार्य और लक्ष्य सारणी 12.4 में दिए गए हैं।

| मिशन द्वारा किए जाने वाले कार्य (संख्या) | वर्ष 2013-17 लक्ष्य | वर्ष 2013-14 लक्ष्य | वर्ष 2013-14 में उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| विषयक ज्ञान नेटवर्क | 10 | 2 | 2 |
| क्षेत्रीय जलवायु मॉडल | 4 to 6 | 2 | 3 |
| विशेष रूप से प्रशिक्षित उच्च गुणवत्ता वाले सीसी व्यवसायिक | 200 | 50 | 25 |
| प्रौद्योगिकी निगरानी समूह | 11 | 5 | 2 |

सारणी 12.4 : जलवायु परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन : वे क्षेत्र जिनमें अधिक प्रगति की गई है

*जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्यों की कार्य योजनाएं और मौजूदा प्रगति*

12.27 एनएपीसीसी की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में एसएपीसीसी प्रारंभ किए गए थे ताकि उप-राष्ट्रीय स्तरों पर जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए राज्य-विशिष्ट प्राथमिकताओं और कार्य योजनाओं की पहचान की जा सके। 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी एसएपीसीसी तैयार कर ली है। इनमें से नौ राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश की एसएपीसीसी जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा पृष्ठांकित की गई है।

12.28 बारहवीं पंचवर्षी योजना के दौरान 'जलवायु कार्रवाई कार्यक्रम' शीर्षक वाली नई केन्द्रीय-क्षेत्रक स्कीम अनुमोदित की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मूल्यांकन करने और समुचित अनुक्रिया उपायों का निर्माण व कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय और राज्यों के स्तर पर क्षमता का निर्माण व सहायता करना है। एसएपीसीसी का कार्यान्वयन इस स्कीम के आठ अनुमोदित संघटकों में से एक है जिसके लिए योजना आयोग द्वारा 90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

*निम्न कार्बन कार्यनीतियां और उनके वित्तीय निहितार्थ*

12.29 भारत ने स्वेच्छा से 2020 तक 2005 की तुलना में अपने सरल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन सघनता 20-25 प्रतिशत घटाने के प्रयास के प्रति वचनबद्धता की है। निम्न उत्सर्जन मार्ग ऊर्जा-सक्षम प्रौद्योगिकियों की तैनाती, विद्युत उत्पादन हेतु नवीकरणीय विकल्पों का वद्धित प्रयोग, सतत अपशिष्ट प्रबंधन और वनों का संरक्षण अपरिहार्य बनाएगा। समावेशी विकास के लिए निम्न कार्बन कार्यनीतियां बनाने हेतु योजना आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था और इसने हाल ही में अपनी अतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है (बॉक्स 12.3)।

## अंतर्राष्ट्रीय वार्तालाप: पक्षकार-19 का सम्मेलन

12.30 वैश्विक सार्वजनिक कल्याण के तौर पर विकास प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाना विशेषकर उन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को भारी पड़ा है जिनकी बुनियादी जरूरतें बमुश्किल पूरी हुई हैं। ऐसी प्रक्रिया को सीबीडीआर सिद्धांत के अंतर्गत आश्रय लेना होगा जिसे वार्तालाप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के उन्नीसवें सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की नौवीं बैठक नवंबर, 2013 में वारसा, पौलेंड में आयोजित की गई थी। पक्षवार-19 सम्मेलन में कोई नए परिणाम सामने नहीं आए। (बॉक्स 12.3 में कुछेक महत्वपूर्ण परिणाम रेखांकित किए गए हैं)। वारसा से महत्वपूर्ण निर्णय 'डर्बन प्लेटफार्म' के कार्य से जुड़े हैं जो 2020 से पहले और बाद की अवधियों के लिए उत्सर्जन कटौतियों संबंधी करारों को अंतिम रूप देने के लिए वार्ताकारी प्रक्रिया है। अनेक देशों के लिए

**बॉक्स 12.2 : निष्कर्ष : समावेशी विकास के लिए निम्न कार्बन कार्यनीतियों संबंधी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट**

- इस रिपोर्ट में प्रयुक्त माडल के अनुमानों के अनुसार निम्न कार्बन कार्यनीतियों का अनुसरण औसत स.घ.उ. वृद्धि दर 0.15 प्रतिशत नीचे ले आएगा जबकि प्रति व्यक्ति कार्बनडायआक्साइड उत्सर्जन बीआईजी (बेसलाइन, समावेशी विकास) परिदृश्य में (2030 में) 3.6 टन प्रति व्यक्ति से गिरकर एलसीआईजी (निम्न कार्बन, समावेशी विकास) परिदृश्य में 2.6 टन प्रति व्यक्ति पर आ जाएंगे। हालांकि, दोनों उत्सर्जनों में कुल कार्बन उत्सर्जन 2030 तक निरंतर बढ़ते रहेंगे।
- वर्ष 2010 से 2030 के बीच निम्न कार्बन कार्यनीतियों की संचयी लागत 2011 के मूल्यों पर लगभग 834 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।
- यह अन्य जरूरतों से संसाधन हटाएगी और इसे बनाए रखना संभव नहीं होगा यदि संवृद्धि पर्याप्त नहीं होती है। एलसीआईजी परिदृश्य में अतिरिक्त ऊर्जा निवेश द्वारा हुई कुल स.घ.उ. हानि को 2011 के मूल्यों पर 1344 बिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किया गया है अत: वित्त और प्रौद्योगिकी दोनों में अंतर्राष्ट्रीय सहायता महत्वपूर्ण होगी।

**स्रोत:** समावेशी विकास हेतु निम्न कार्बन कार्यनीतियों संबंधी विशेषज्ञ समूह की अंतिम रिपोर्ट, योजना आयोग - 2014

**बॉक्स 12.3 : वारसा के महत्वपूर्ण परिणाम**

- सरकारों ने निर्णय लिया कि 2015 के करार के लिए अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित अंशदानों की घरेलू तैयारी या तो शुरू करें अथवा तेज करें।
- कमजोर विकासशील देशों द्वारा भयंकर जलवायु प्रभावों का सामना करने में सहायता करने के लिए क्षति तंत्र स्थापित किया गया है जो समुचित वित्तपोषण के स्पष्ट अधिदेश के बिना ही है।
- 100 बिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धताओं के संबंध में विकसित देशों से यह कहते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था कि 2014 से 2020 तक जलवायु वित्त बढ़ाने के लिए अपनी अद्यतन कार्ययोजनाएं व दृष्टिकोणों के द्विवार्षिक प्रस्तुतीकरण तैयार करें।
- हरित जलवायु कोष बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वित्तीय संसाधन प्राप्त करने, प्रबंधन करने और संवितरण करने के लिए आवश्यक जरूरतों को अंतिम रूप दें जिनके पूरे होने पर पूंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।
- वकसित देशों ने अनुकूलन निधि हेतु 100 मिलियन अमरीकी डालर का पूंजीकरण लक्ष्य पूरा कर लिया है जो अब प्राथमिकता वाली परिस्थितियों का निधि पोषण जारी रख सकती है।
- आरईडीडी + (वन कटाई और अपरदन से उत्सर्जन में कटौती) हेतु वारसा कार्ययोजना का समर्थन अमरीका, नार्वे और यू.के. से 280 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धताओं से हुआ है।

उच्च प्राथमिकता वाला दूसरा मुद्दा हरित जलवायु कोष का पूंजीकरण था। इन क्षेत्रों में निर्णयों पर पहुंचना चुनौतीपूर्ण था और किसी एक मुद्दे पर प्रगति स्पष्ट रूप से दूसरे की प्रगति पर निर्भर करती थी।

12.31 जैसा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय वार्तालापों में होता है पैरिस में 2015 में अतिम रूप पाने वाले वैश्विक जलवायु करार की दौड़ में पक्षकार - 19 के सम्मेलन में पक्षकारों के बीच विचारों का गंभीर आदान-प्रदान देखा गया। अंतत: यह सहमति हुई कि देश अपने 'आशयित राष्ट्रीय रूप से निर्धारित अंशदान' का निर्धारण करने के लिए घरेलू तैयारी तेज करेंगे। यह पेरिस में अगले वर्ष होने वाले सम्मेलन के लिए अनिवार्य पूर्वापेक्षा है जहां सभी देशों में उत्सर्जन कम करने की नई वैश्विक संधि पर वार्तालाप होगी। यह यूएनएफसीसीसी के इतिहास में ऐसा पहला करार होगा जिसमें सभी देशों को एक मंच के अंतर्गत लाया जाएगा जिसका मतलब है कि 2014-15 महत्वपूर्ण वर्ष होगा। सभी पक्षों से अपेक्षा है कि वे 2015 की पहली तिमाही तक उनके द्वारा उत्सर्जन में कटौती की मात्रा की वचनबद्धता दें।

भारत सहित सभी देशों को 2015 के करार के लिए 2015 की प्रथम तिमाही तक अपने 'आशयित राष्ट्रीय रूप से निर्धारित अंशदान' का मूल्यांकन किये जाने की जरूरत है।

## जलवायु परिवर्तन वित्त

### वैश्विक जलवायु वित्त परिदृश्य

12.32 जब से विकसित देशों ने 2020 तक विकासशील देशों को 100 बिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने की वचनबद्धता की है, इस लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ अनुत्तरित प्रश्न व अनिश्चितताएं हैं। प्रवाहों और 10 बिलियन अमरीकी डालर बनाने वाले स्रोत; पात्र साधन और अनुबंध-II वाले देशों के बीच दायित्वों के बंटवारे के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भ्रामक बने हुए हैं।

12.33 बहुपक्षीय/द्विपक्षीय चैनलों, विकास बैंकों के जोड़तोड़ और यूएनएफसीसीसी के क्षेत्र के भीतर और बाहर पड़ने वाली राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए कार्य संचालन वैश्विक जलवायु वित्त परिदृश्य निरंतर द्विअर्थी और जटिल बना हुआ है। चैनलों की बहुलता से जटिलता बढ़ेगी और सेवा दिए जाने वाले देशों की तुलना में अधिक संस्थाओं में वित्त की अल्प राशि टुकड़ों में बंट जाएगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने अनुमान लगाया है कि पहले ही 50 अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक कोष, 45 कार्बन बाजार और 6000 निजी इक्विटी फर्में हैं जो जलवायु परिवर्तन वित्त उपलब्ध करा रही हैं (ह्यूमैन

डेवलेपमेंट इन ए चेंजिंग क्लाइमेट: ए फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, यूएनडीपी 2011)। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संस्था अपने अभिशासन ढांचे और उद्देश्यों में अलग है। जो द्विपक्षीय संस्थान वर्तमान में जलवायु वित्त का अधिकतर चैनल करते हैं, प्राय: सीमित पारदर्शिता, लंबित देशज स्वामित्व और प्राथमिकताओं के साथ कार्य करते हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप सिधाई के संघर्ष में अपने स्वयं के राष्ट्रीय जलवायु कोषों की स्थापना की नई प्रवृत्ति भी उभर रही है।

12.34 जलवायु वित्त का पता लगाने के लिए कोई व्यापक प्रणाली नहीं है। विभिन्न पूर्वधारणाओं और प्रक्रिया विधियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न अध्ययनों के अनुमान संकलित किए गए हैं जो अंतरालों और प्रासंगिक द्विरावृत्ति से भरे हुए हैं। इसमें सूचित राशि संभवत: वचनबद्ध राशि होती है और यह वास्तविक संवितरित राशि नहीं है। ओईसीडी (ट्रेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस: वाट एण्ड हाऊ, ओईसीडी 2012) के अनुसार उत्तरी-दक्षिणी प्रवाह 2009-10 में 70-120 बिलियन अमरीकी डालर वार्षिक थे। अन्य अनुमान इस आंकड़े को अलग ही दर्शाते हैं।

12.35 अधिकतर जलवायु वित्त प्रवाहों का अनुमान लगाने वाले अध्ययन अभिसमय के अनुच्छेद में यथा प्रतिबिंबित जलवायु वित्त व्यवस्थाओं का प्रग्रहण नहीं करते जो विकसित देशों को निदेश देते हैं कि विकासशील देशों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन के उपायों की सहमत संपूर्ण वृद्धिकारी लागतें पूरी करने के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण सहित नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं। यदि कोई जलवायु वित्त की परिभाषा करने और इसकी सीमा बनाने के लिए इन अनुच्छेदों के अनुसार चलेगा तो जैसा कि कई अध्ययनों में दावा किया गया है वैश्विक जलवायु परिवर्तन वित्त प्रवाह कई गुणा कम हो जाएंगे और एक मामूली राशि (विकसित देशों से नए और सार्वजनिक प्रवाहों के समकक्ष अतिरिक्त अनुदान) ही जलवायु वित्त के रूप में वास्तव में अर्हक होगी। जलवायु नीति कार्यक्रम (ग्लोबल लैंडस्कोप आफ क्लाइमेट फाईनेंस, 2013) द्वारा अनुमानित 2012 में 359 बिलियन अमरीकी डालर के जलवायु वित्त प्रवाहों में अनुदानों का हिस्सा मात्र लगभग 3 प्रतिशत था। यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार अनुबंध-II वाले देशों (ईआईटी देशों को छोड़कर अनुबंध-1 के ओनुसीडी सदस्य) ने 2011 और 2012 में प्रत्येक वर्ष लगभग 15 बिलियन अमरीकी डालर मुहैया कराए थे। वित्त का 80 प्रतिशत से अधिक द्विपक्षीय रूप से उपलब्ध कराया गया था और शेष बहुपक्षीय चैनलों के जरिए मुहैया कराया गया था। यह देखना उत्साहवर्धक नहीं है कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चैनल यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत समर्पित निधियों की तुलना में अंशदानों हेतु तरजीही पसंद बने हुए हैं। यदि ये आंकड़े विकसित देशों के प्रयास बढ़ाकर 2020 तक 100 बिलियन अमरीकी डालर का वार्षिक लक्ष्य कर देंगे तो आगे चलकर जलवायु वार्तालाप निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे।

अनुबंध-II वाले देशों ने जलवायु वित्तपोषण के रूप में विकासशील देशों को 2011 और 2012 के प्रत्येक वर्ष में लगभग 15 बिलियन अमरीकी डॉलर उपलब्धा कराए है जो उनके द्वारा वचनबद्ध 2020 के लिए 100 विलियन अमरीकी डालर के वार्षिक लक्ष्य से काफी कम है।

12.36 हालांकि विभिन्न अध्ययन मौजूदा जलवायु वित्त प्रवाहों के अलग-अलग आंकड़े दर्शाते हैं परन्तु जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपेक्षित निधियों की विशालता के बारे में एमकत हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2050 तक 2° सेंटीग्रेड के अनुरूप ऊर्जा प्रणाली को कार्बनहीन करने के लिए 44 ट्रिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त निवेश की जरूरत पड़ेगी (एनर्जी टेक्नोलोजी प्रस्पेक्टिव्ज - हार्नेसिंग इलेक्ट्रिसिटी पोर्टसियल, आईईए 2014)। हालांकि 2012 में आईईए ने यह अनुमान 36 ट्रिलियन अमरीकी डालर लगाया था। जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए हम जितनी देरी करेंगे, इसकी लागत उतनी ही बढ़ती जाएगी।

भारत सरकार ने जीसीएफ संसाधनों तक पहुंच के लिए जरूरी संस्थागत अवसंरचना पर विचार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है।

12.37 जलवायु वित्त आवश्यक वास्तविक धन की उपलब्धता की तुलना में जरूरत, निधियों के प्रवाह प्रसार में पारदर्शिता और समन्वय में कमी के अर्थ में अंतराल से कमजोर बना हुआ है। यह सही मात्रा को समझना और उपलब्ध वित्तपोषण के स्वरूप को चुनौतीपूर्ण बनाता है। जलवायु वित्त की मानीटरिंग, लेखाकरण और पारदर्शिता को यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत अधिक ठोस रूप से संस्थागत बनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए यूएनएफएसीसीसी के अंतर्गत वित्त संबंधी स्थायी समिति में प्रयास जारी हैं।

*जीसीएफ और जीसीएफ संसाधनों तक पहुंच के लिए देशज तैयारी*

12.38 जीसीएफ से अपेक्षा है कि वार्षिक जलवायु वित्त के 100 बिलियन अमरीकी डालर के महत्वपूर्ण हिस्से को सरणीकृत करना है। इसके लिए लंबित निर्णयों को तत्काल अंतिम रूप देने हेतु जीसीएफ बोर्ड के प्रयास जारी हैं। यह कोष संभवत: 2015 तक प्रचालनरत हो जाएगा। इसका अर्थ है कि विकासशील देशों को जीसीएफ संसाधनों तक पहुंच के लिए संस्थागत अवसंरचना के निर्माण हेतु समान रूप से कठिन स्थिति रहेगी।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2050 तक 2° सेंटीग्रेड के अनुरूप ऊर्जा प्रणाली को कार्बनहीन करने के लिए 44 ट्रिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त निवेश की जरूरत पड़ेगी

12.39 इस परिप्रेक्ष्य में जीसीएफ बोर्ड ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। बोर्ड द्वारा लिए गए कुछ निर्णायक फैसलों में कालांतर में शमन और अनुकूलन के लिए 50:50 के अनुपात में आवंटन हेतु लक्ष्य भी शामिल है। इसने छोटे द्वीपीय विकासशील देशों तथा कम विकसित देशों (एलडीपी) जैसे कमजोर देशों के लिए खर्च की जा रही अनुकूलन राशि का न्यूनतम आधा आरक्षित रखा है। बोर्ड के सदस्य जीसीएफ के लिए केन्द्रीय सिद्धांत के रूप में देश के स्वामित्व के लिए भी सहमत हो गए हैं। राष्ट्रीय सरकारें अथवा उनके द्वारा नामित संस्थाएं जिन्हें राष्ट्रीय कार्यान्वयन प्रतिष्ठान (एनआईई) कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु निधियां प्राप्त करेंगी और उन्हें संबंधित परियोजनाओं का संवितरित करेंगी। बोर्ड ने राष्ट्रीय निर्दिष्ट प्राधिकरण (एनडीए) नामित करने के लिए देशों को पहले से ही आमंत्रित किया है जो यह सुनिश्चित करने के लिए एनआईई के प्रस्तावों की समीक्षा करेगा कि ऐसे प्रस्ताव राष्ट्रीय योजनाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार हैं।

12.40 अंतत: जीसीएफ की सफलता जीसीएफ गतिविधियों के संपूर्ण अंतरण के लिए विकासशील देशों की तत्परता और तैयारी में हैं। यह जीसीएफ के जरिए संवितरित संसाधनों के उपयोग के लिए पर्याप्त और सक्षम घरेलू के प्रश्न को उत्पन्न करती है। प्रमुख मुद्दों पर संबंधित हित्तधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया भारत सरकार ने पहले ही प्रारंभ कर दी है।

*वैश्विक पर्यावरण सुविधा से निधि का प्रवाह*

12.41 आज की तारीख तक भारत ने 477.3 मिलियन अमरीकी डालर की वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) अनुदान प्राप्त की है जिसमें से 284.2 मिलियन अमरीकी डालर शमन परियोजनाओं के लिए तथा 10 मिलियन अमरीकी डालर अनुकूलन परियोजनाओं के लिए हैं। हाल ही में, 30 दाता देशों ने जीईएफ को इसके छठे चक्र (जुलाई 2014-जून 2018) के लिए 4.43 बिलियन अमरीकी डालर राशि देने की प्रतिज्ञा की है। कुछ विकसित देशों की तुलना में जिन्होंने अपनी खराब आर्थिक स्थिति के आधार पर जीईएफ-6 में अधिक अंशदान हेतु राशि देने में अपनी अक्षमता व्यक्त की है, विकासशील देशों ने अपनी प्रतिज्ञा में उच्च प्रतिशत की वृद्धि की है। भारत ने 12 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करने की प्रतिज्ञा की है जो जीईएफ-5 में इसके अंशदान से 33 प्रतिशत ज्यादा है।

दिनांक 31 मई 2014 को अभी तक एनसीईएफ के जरिए निधियन के लिए 16035 करोड़ रुपए की लागत की लगभग 44 परियोजनाएं संस्तुत की गई हैं।

*राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि*

12.42 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) प्रति टन 50 रुपए के कोयला उपकर से सृजित की गई थी। दिनांक 31 मई 2014 को अभी तक एनसीईएफ के जरिए निधियन के लिए 16035 करोड़ रुपए की लागत की लगभग 44 परियोजनाएं संस्तुत की गई हैं। एनसीईएफ के जरिए बजटित राशि लगभग पूरी तरह से उपयोग कर ली गई है। 2013-14 के लिए बजटित राशि लगभग 1313 करोड़ रुपए तथा 2014-15 के लिए 1078 करोड़ रुपए है। एनसीईएफ जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की सोलर फोटोवोल्टिक लाइटें और कम क्षमता की लाइटें लगाने, एसपीवी वाटर पंपिंग प्रणालियां लगाने, एसपीवी विद्युत संयंत्र, ग्रिड कलेक्टिड सफटाप एसपीवी विद्युत संयंत्र, पवन विद्युत संभाव्यता तक पंहुच की प्रायोगिक परियोजना, ग्रिड इंटररेक्टिव पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम आदि जैसी नवीन स्कीमों सहित पात्र परियोजनाओं का निधिपोषण कर ही है।

2013 में भारत ने 115 परियोजनाओं को पंजीकृत किया है जो किसी भी देश से ज्यादा हैं।

*कार्बन बाजार, रूझान और साधन*

12.43 भारत कार्बन बाजार के प्रति अपनी पहुंच में सक्रिय रहा है तथा यह वैश्विक सीजीएम (स्वस्थ्य विकास कार्य प्रणाली) बाजार के महत्वपूर्ण घटक को दर्शाता है। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार सीडीएम कार्यकारी बोर्ड द्वारा पंजीकृत 7472 परियोजनाओं में से 1493 भारत की थीं, जो विश्व में किसी अन्य देश से दूसरी सबसे अधिक है। दूसरी वचनबद्ध अवधि में, जो 2013 में शुरू हुई थी, सीडीएम परियोजनाओं की संख्या वैश्विक स्तर पर काफी कम हुई है। 2013 में भारत ने 115 परियोजनाओं को पंजीकृत किया है जो किसी भी देश से ज्यादा हैं। विभाजित देशों में उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के निम्न स्तर तथा भारत और चीन जैसे देशों को उनके घरेलू कार्बन बाजार से बाहर आने के लिए कुछ विकसित देशों द्वारा की गई एकतरफा कार्रवाई ने हाल ही में सीडीएम की संभावना को अवमंदित कर दिया है। फिलहाल, बाजारों को उचित मूल्य पर स्थिर रखने में मदद करने के लिए कार्बन क्रेडिट मांग को बढ़ाने हेतु प्रस्तावों पर बातचीत की जा रही है।

नई संरचना के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों के साथ व्यवहार का मुद्दा संभवत: सबसे महत्वपूर्ण है।

*चुनौतियां और संभावनाएं*

12.44 विश्व को शीघ्र ही दो महत्वपूर्ण वैश्विक करारों के प्रति स्वयं प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए तैयार होना होगा। नई संरचना के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों के साथ व्यवहार का मुद्दा संभवत: सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले, क्योटो प्रोटोकॉल ऐतिहासिक रूप से उत्तरदायी प्रदुषकों (विकसित देश) को ही भुगतान करने के लिए आया; इसके विपरीत विकासशील देशों के लिए ही एमडीजी बनाए गए थे। जबकि नए व्यवहार अब सब पर लागू होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी भावी करार भारत की विकास चिंताओं और जरूरतों को पूर्णतया ध्यान में रखेगा। विकासशील देशों को राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी ताकत के साथ कानूनी रूप से समुचित व्यवस्था के जरिए अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार अपने घरेलू लक्ष्य पूरे करने के लिए अपना विवेक रखना चाहिए। यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि इक्विटी और सीबीडीआर के सिद्धांत नए व्यवहारों में ठोस रूप से जुड़े रहें। यथा परिकल्पित 6 सबके लिए अनुप्रयोज्यता अथवा अनुप्रयोग की सार्वभौमिकता अनुप्रयोग की समानता नहीं होनी चाहिए। विकसित देशों का ऐतिहासिक उत्तरदायित्व और वैश्विक वायुमंडलीय संसाधनों तक पहुंच में 'इक्विटी' अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत बचनबद्धताओं के स्वरूप और स्तर स्पष्ट करने के आधार बने रहने चाहिएं। इन व्यवहारों में सुनिश्चित किया

इन व्यवहारों में सुनिश्चित किया जाए कि विकासशील देशों को 'कार्बन' और 'विकास अंतर' में उनका उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए।

जाए कि विकासशील देशों को 'कार्बन' और 'विकास अंतर' में उनका उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए।

12.45 अगला बड़ा मुद्दा कार्यान्वयन के साधन हैं। एसडीजी के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना और जीसीएफ का अपूंजीकरण गंभीर चिंता का सबब है और इनसे वैश्विक वार्ताओं की प्रक्रिया की विश्वसनीयता को खतरा हो सकता है। विकासशील देशों के पास संपोषणीयता और जलवायु संबंधी चुनौतियों पर कारगर कार्रवाई करने के लिए संसाधनों का अभाव है। भारत में पर्यावरण अपरदन की रफ्तार को रोकने की बड़ी भारी चुनौतियां हैं क्योंकि एक बड़ी आबादी के लिए उच्च आर्थिक विकास दर बनाए रखने की जरूरत तथा शहरीकरण व औद्योगिकीकरण से उपजी बढ़ती और पूरी न की जा रही बुनियादी जरूरतें मुंह बांधे खड़ी हैं। साथ ही सतत् विकास योजना की प्रक्रिया के अंतर्गत उपशमन और अनुकूलन में की गई प्रगति भी जारी रहनी चाहिए।

12.46 वैश्विक समुदाय को अब तक हुई सीमित प्रगति में संतुष्ट रहना बंद कर देना चाहिए और निर्णायक कार्रवाई की दिशा में बढ़ना चाहिए। हालांकि सतत विकास और कम कार्बन उत्सर्जन के मार्ग और पथ चुनौतीपूर्ण हैं लेकिन फिर भी प्राप्य हैं और अवहनीयता की स्थिति को उलटने के लिए प्राप्त अवसरों की तेजी से बंद होती खिड़की अभी भी खुली है। जहां भारत में जलवायु परिवर्तन और संपोषणीयता विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाए जा रहे हैं, वहीं वैश्विक सहयोग और पर्याप्त अतिरिक्त वित्तपोषण की भी आवश्यकता है। यदि इतनी बड़ी मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा सकते तो विकास संपोषणीयता और समावेशी विकास के संदर्भ में हासिल होने वाले परिणाम संभवत: अपेक्षा से कहीं कम रहेंगे।